

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 23/24

दायरा दिनांक 12.12.2024

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्द्र प्रकाश पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी जैतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

- अपीलान्त

वनाम

राजस्थान सरकार जयें नायव तहसीलदार नाहरगढ़ तह0 किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

- रेस्पोंडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :- 18.02.2025

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत नायव तहसीलदार नाहरगढ़ के प्रकरण संख्या 144/24 निर्णय दिनांक 19.02.2024 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गोस्धनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 435 रकवा 0.32 हैक्टेयर किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 160/- रुपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें।


उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलान्त को बेदखल करने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलान्त के वकील का यह भी तर्क है कि बिना कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को अतिचारी मानते हुए बेदखली के आदेश से दंडित किया गया है। अतः बेदखली के आदेश निरस्त करने योग्य है।

हमने अपीलान्त के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
शाहबाद (बारां)